भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *207
दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई)

*207 डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायत के कार्यनिष्पादन में विषय-वार कमियों की पहचान करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) के स्कोरकार्डों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में महिला नेतृत्व वाली पंचायतों के पीएआई स्कोर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) 'आरंभिक' श्रेणी की पंचायतों के एक्सपोजर दौरे के लिए गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 'पंचायत अध्ययन केन्द्रों' के रूप में विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के लिए पीएआई स्कोर को मानदंड के रूप में अपनाया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के अनुरूप नौ विषयों पर ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों के समकक्ष संस्थाओं के प्रदर्शन के आकलन हेतु पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) विकसित किया है। पीएआई के अंतर्गत पंचायतों को प्रत्येक विषय पर अलग-अलग अंक तथा एक समग्र/कुल अंक प्रदान किए जाते हैं। ये विषय-वार तथा समग्र अंक, स्कोरकार्ड और डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कम अंक वाले विषयों की पहचान हो सके। इससे पंचायतों को ऐसे विषयों पर विशेष ध्यान देने तथा संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए लक्षित प्रयास करने में सहायता मिलती है। ये अंक उन पंचायतों की पहचान करने में भी सहायक हो सकते हैं, जिनका प्रदर्शन किसी विशेष विषय अथवा समग्र स्तर पर अपेक्षाकृत बेहतर है, ताकि उन्हें सहकर्मी शिक्षण तथा अच्छी प्रथाओं के प्रसार के लिए उपयोगी उदाहरण के रूप में लिया जा सके।

PAI 1.0 (वित्त वर्ष 2022-23) अप्रैल 2025 में जारी किया गया था। PAI 2.0 (वित्त वर्ष 2023-24) के प्राप्तांक (स्कोर) को फरवरी 2026 में अंतिम रूप दिया गया।

हालांकि, PAI 1.0 और PAI 2.0 के प्राप्तांक सीधे तुलना योग्य नहीं हैं, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण (LSDGs) के 9 विषयों के अंतर्गत दोनों सर्वेक्षणों में उपयोग किए गए स्थानीय संकेतक अलग-अलग हैं। पंचायत विकास सूचकांक (PAI) के अंतर्गत स्थानीय संकेतकों के युक्तिकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने अधिक प्रासंगिक और प्रतिनिधिक स्थानीय संकेतक एवं डेटा बिंदु शामिल किए हैं तथा PAI के उपयोग को सहज बनाने के लिए प्रक्रिया/कार्यप्रवाह को सरल किया है। इस प्रक्रिया में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए PAI 2.0 में संकेतकों की संख्या PAI 1.0 के 516 संकेतकों से घटाकर 150 संकेतक कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए PAI के अगले संस्करण हेतु आंकड़ों का संकलन अभी आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) की परिकल्पना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन और समकक्ष-अध्ययन के स्थलों के रूप में चिह्नित किया जाता है ताकि योजना निर्माण, सेवा प्रदायगी, शासन प्रक्रियाओं और विकासात्मक पहलों के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ पद्यतियों को साझा किया जा सके। पीएलसी का उद्देश्य पंचायत के बीच अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपोजर विजिट और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

पंचायतें, राज्य सूची के तहत स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं और पंचायत शिक्षण केंद्रों की पहचान और स्थापना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

हालाँकि, मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी सुशासन प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण करना है। यह योजना पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) के विकास जैसी बुनियादी अवसंरचनातमक सहायता प्रदान कर संस्थागत प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करके राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सीमित पैमाने पर सहयोग करती है। सफलता की कहानियों / श्रेष्ठ पद्यतियों वाली ग्राम पंचायतें या जिन्होंने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत चिह्नित विषयों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें पीएलसी के रूप में विकसित किया जाता है।

पीएआई फ्रेमवर्क अपने विषय-वार तथा समग्र प्रदर्शन अंकों के माध्यम से एक प्रमाणिक आधार प्रदान करता है, जिससे वस्तुनिष्ठ मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की पहचान करने में सहायता मिलती है। इनका उपयोग राज्य सरकारें क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने तथा अन्य प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए संदर्भ के रूप में कर सकती हैं।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, वर्ष 2025-26 के दौरान गुजरात राज्य के लिए 33 पंचायत शिक्षण केंद्र (पीएलसी) और तेलंगाना राज्य के लिए 9 पीएलसी स्वीकृत किए गए हैं। गुजरात सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में प्रत्येक जिले से एक-एक ग्राम पंचायत को पंचायत शिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 1.0 के तहत प्राप्त स्कोर को राज्य सरकार द्वारा इन पंचायतों के चयन के मानदंडों में से एक माना गया है।

(घ) पंचायतों को निष्पादन आधारित अनुदान प्रदान करना वित्त आयोग की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होता हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए पीएआई स्कोर न तो निर्धारित किए गए थे और न ही मानक के रूप में उन्हें जोड़ा गया था। इसी प्रकार सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने वित्त आयोग के तहत निष्पादन आधारित अनुदानों के लिए पीएआई स्कोर को मानक के रूप में नहीं जोड़ा है।
